कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा टोंक

प्रारूप–2

[नियम 8–क उप–नियम (4) देखिए]

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक, राजस्थान

क्रमांक–जिशिअ / प्राशि / टोंक / सामान्य–2 / मान्यता / 2012–13 / 402 दिनांक 31-7-2012

अध्यक्ष / प्रबंधक

प्रबंध समिति

सेन्ट एन्सलेम स्कूल, टोंक

(माध्यम अंग्रेजी)

विषय:– नियम 8–क के उप–उपनियम (4) के अधीन विद्यालय केलिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय / महोदया

आपके आवेदन दिनांक **30.03.2012** और इस संबंध मे विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्तिपत्र व्यवहार / निरीक्षण के सन्दर्भ में मै जगदीश लाल वर्मा, जि0शि0अ0,प्रा0शि0, टोंक आपकी सस्था **सैन्ट एन्सलेम स्कूल, टोंक ब्लॉक टोंक को दिनांक 31.07.2012** से अग्रिम तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा प्रथम से कक्षा 6 तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी:–

मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नही होगी।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र– संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालको को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नही करेगा और बालक या उसके माता–पिता या सरंक्षक को किसी छटाई प्रकिया का पात्र नही बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालना करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा। कि:–

- विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा मे रोका या विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
- कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का पत्रा नही होगा।
- किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उतीर्ण करना अपेक्षित नही होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विधार्थियों का सम्मलित किया जाये।
- अध्यापक 2002 के अधीनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं, सहित भर्ती किये जाये।

परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐ नही रखते है। वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 परन्तुक के उपबंधो के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे।

- अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है, और
- अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नही लगायेगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय 2009 की अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेगें। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाए निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष
- लडके एवं लडकियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुँच
- अध्यापन विज्ञता, सामग्री / खेल–कूद उपस्कर / पुस्कालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाऐ या खेल मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के परियोजन के लिए उपयोग में लिए जायेगें।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28),के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा। और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा।प्रत्येक लेखा विवतरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगा।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या–**TNK 20125** है। कृपया इसे नोट किया जाये। और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15 विद्यालय , ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा। जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा। जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण यदि कोई हो, सुनिश्चित करे।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा टोंक

कमांक:–जिशिअ / प्राशि / टोंक / सामान्य–2 / मान्यता / 2012–13 / 403-07 दिनांक 31-7-2012
प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् निजी सचिव, निदेशक, (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक (आर0टी0ई0) निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. श्रीमान् उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर ।
4. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा, अधिकारी, टोंक।
6. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा टोंक